



जे.पी.आर.5- 889

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं० 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005

फोन नं० - 0141-2747041, फॅक्स नं० - 0141-2744803

ईमेल - se_comml@yahoo.in

क्र० जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-।/एफ.4(392)/ / प्र० 1135 जयपुर, दिनांक- 24-8-2017

आदेश

विषय:- कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के सम्बन्ध में।

कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि के रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" को निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

1. ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा, यद्यपि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत हैं एवं कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
2. इस "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, यदि विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि (रु. 15/- प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार नियमित कर दिया जावेगा।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त नियमितीकरण शुल्क (अतिरिक्त बढ़े हुये भार) कृषि नीति के अनुसार देने होंगे।
4. यदि मद (2 व 3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया गया तो ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुये भार पर कृषि नीति (आर.ई.ओ.-267) के अनुसार राशि वसूली जावेगी।
5. दो वर्ष तक कटे हुये कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
6. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 के.वी. लाइन एवं सब-स्टेशन का खर्चो निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वी.सी.आर. भरी जा चुकी है तो वह भी उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जावेगी। उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की समाप्ति (31 दिसम्बर, 2017) के पश्चात् भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)